न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :–06 / 18 दायरा दिनांक 21.05.2018

आर.सी.एम.एस. 2018 / 00046

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. राजीव भटनागर पुत्र मोहनस्वरूप जाति कायस्थ निवासी मामोनी हाल मकान नं. 40 पलायथा हाउस का बाग कोटा, राज.
2. संजीव भटनागर पुत्र मोहनस्वरूप जाति कायस्थ निवासी मामोनी हाल निवासी इन्द्रा मार्केट बारां।

– अपीलाण्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां। –रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. अभिभाषक अपीलान्ट :– श्री पवन कुमार जैन, श्री चन्दमोहन वर्मा
2. रेस्पोण्डेट :– परोकार सरकार।

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण नं. 99 दिनांक 15.10.1977 तथा नामान्तरकरण नं. 430 दिनांक 19.09.2003 ग्राम देवरी उपरेटी तहसील शाहबाद आराजी बाबत् खसरा नं. 159 / 47 रकबा 12 बीघा

निर्णय दिनांक 29.08.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 19.09.2003 को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। वाके ग्राम देवरी उपरेटी तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 159 / 47 रकबा 12 बीघा स्थित है। उक्त आराजी आवंटन अपीलान्ट की माता श्रीमति निर्मला पुत्री पन्नालाल भटनागर पत्नि मोहनस्वरूप भटनागर साकिन मामोनी को दिनांक 05.01.1975 को आवंटन हुआ था। जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 99 दिनांक 15.010.1977 को तस्दीक किया गया। जिसमें अपीलान्ट की माता का नाम सहवन से निर्मला के स्थान पर निरमल कुमार पुत्र पन्नालाल दर्ज कर दिया गया। जबकि निर्मला पुत्री पन्नालाल दर्ज करना चाहिए था। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 19.09.2003 में भी गलत अंकित उपरोक्तानुसार ही कर दिया है। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। अपीलान्ट की माता श्री निर्मला पुत्री पन्नालाल भटनागर पत्नि मोहनस्वरूप भटनागर का स्वर्गवास दिनांक 05.06. 1998 को हो चुका है तथा अपीलान्ट राजीव भटनागर व संजीव भटनागर उसके जायज वारिस एवं कायम मुकाम है। क्योंकि निर्मला भटनागर के पति व अपीलान्ट के पिता मोहनस्वरूप भटनागर का भी दिनांक 15.11.

2001 को हो चुका है। उक्त आराजियात खसरा नं. 159/47 रकबा 12 बीघा पर आवंटन के बाद से अपीलान्ट के माता पिता का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनके मरणोपरान्त अपीलान्ट का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ही प्रतिवर्ष फसल बोते एवं काटते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट उक्त दोनों इन्तकालों को निरस्त करवाकर उक्त आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। नामान्तरकरण नं. 99 दिनांक 15.10.1977 तथा नामान्तरकरण नं. 430 दिनांक 19.09.2003 ग्राम देवरी उपरेटी तहसील शाहबाद की सर्वप्रथम जानकारी किसान क्रेटिड कार्ड हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से दिनांक 17.04.2018 को निवेदन करने पर हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि इसमें आपकी माता निर्मला पुत्री पन्नालाल के स्थान पर निरमल कुमार पुत्र पन्नालाल भटनागर दर्ज है। इसके बाद अपीलान्ट ने दिनांक 17.04.2018 को नामान्तरकरण की नकलें प्राप्त करने हेतु निवेदन किया व नकलें प्राप्त की। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अगल से प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेष किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.04.2018 को तत्पष्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

पत्रावली व दस्तावेजों के अवलोकन व बहस सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की अपील किस दस्तावेज/साक्ष्य के आधार पर की गई है स्पष्ट नहीं है। अपीलान्ट का कथन कि नामान्तरकरण में अपीलान्ट की माता का नाम निर्मला के स्थान पर निरमल कुमार पुत्र पन्ना दर्ज कर दिया अपीलान्ट द्वारा आवंटन आदेश, आवंटन प्रार्थना पत्र या आवंटन रजिस्टर या अन्य दस्तावेज जिससे यह साबित हो सके की अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित भूमि निरमल कुमार पुत्र पन्नालाल भटनागर के स्थान पर अपीलान्ट की माता निर्मला के नाम आवंटित हुई थी, प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार बिना किसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 15.10.1977 व नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 19.09.2003 ग्राम देवरी उपरेटी को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:07:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: